उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-8/2015/भा0स0 11/84-2-2015-सीपी 4/2015
लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

ई कामर्स, बहु आयामी मार्केटिग, उत्पादों का सीधे विक्रय, 'मल्टी मीडिया में विज्ञापन से भ्रामक विज्ञापनों तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं में हाल के वर्षो में वृद्धि हुई है। इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली द्वारा एक वेब पोर्टल **http://gama.gov.in** आरम्भ किया गया है, जिसमें उपभोक्ता सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस हेतु केन्द्रीय स्तर पर श्री अशोक जैन, निदेशक (पब्लिसिटी), उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 23 मार्च, 2015 द्वारा प्रदेश स्तर पर उक्त हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने की अपेक्षा की है।

2 अतएव सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त हेतु नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7, वाला कदर रोड, लखनऊ, दूरभाष संख्या-0522-2628063 है, को एतदद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एनआईसी-11011/4/2014-एनआईसी-सीए, दिनांक 29 मार्च, 2015 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7, वाला कदर रोड, लखनऊ को "यूजर आईडी एवं पासवर्ड" उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7, वाला कदर रोड, लखनऊ को भारत सरकार के उक्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29 मार्च, 2015 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रकरण में भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(3) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-।, गोमतीनगर, लखनऊ।

(5) अधिशासी निदेशक, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।